1535

पत्रांक-पथ0ने0/1/2026-SEC_4-UDHD DEPT /न०वे०एवंआ०वे०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना,
*द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

दिनांक 13/11/26

विषय:- निर्गत विभागीय राज्योदश संख्या-413 दिनांक-18.03.2025 के व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत विभागीय राज्योदश संख्या-413 दिनांक-18.03.2025 द्वारा नगर पंचायत, सिलाव क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य हेतु तत्काल राशि 42.43072 लाख रूपये मात्र आवंटित की गई थी, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई।

2. अत: विभागीय राज्यादेश संख्या-413 दिनांक-18.03.2025 द्वारा आवंटित राशि के व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अवर सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 14 नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।